

प्रेषक,

एफ०एन० प्रधान,  
संघर्ष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

विषय :- सेण्ट जोसेफ स्कूल, जीनपुर को सी०बी० एस०ई० नईदिल्ली मे संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का नियम हुआ है कि उक्त संघर्षित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण करता जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति मे शिक्षा नियेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत रक्षाग अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी वड्डो के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्भारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की भौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एज्यूकेशन नईदिल्ली/कौसिल आफ डि इण्डियन स्कूल सटीफिकेट इक्यूलिफिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की लियि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शीक्षिक एवं शिक्षागत कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेने।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्जन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अबका पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दाप्रत हो लिया जायेगा ।

ममदीय,  
मुझे  
(एफ०एन० प्रधान)  
संयुक्त सचिव ।

### प्र०संख्या एवं दिनांक तादृश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(पा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ।
- 4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, सेण्ट जोसेफ स्कूल,जौनपुर ।
- 6- मार्ड बुक ।

आज्ञा से,  
(एफ०एन० प्रधान)  
संयुक्त सचिव ।